न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–38 / 2022

वादीनी	**बनाम** **प्रतिवादीगण**
लुणीकंवर पत्नी श्री बलवन्तसिंह कौम राजपुत साकिन बामणी पटवार मण्डल धनवा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	01. कैलाश कंवर पत्नी मनोहरसिंह 02. गुमानसिंह पुत्र श्री भंमरसिंह 03. गीता पत्नी भंवरसिंह 04. देशुकंवर पत्नी गुमानसिंह 05. नरपतसिंह पुत्र खेतसिंह 06. भरतसिंह पुत्र श्री भमरसिंह 07. मदनकंवर पत्नी वोतसिंह 08. मनोहरसिंह पुत्र श्री भमरसिंह 09. मालसिंह पुत्र उदयसिंह 10. रिडमलसिंह पुत्र भंमरसिंह 11. वदामी कंवर पत्नी रिडमलसिंह 12. वोतसिंह पुत्र श्री भमरसिंह 13. सीताकंवर पत्नी उदयसिंह जाति राजपूत साकिन बामणी पटवार मण्डल धनवा तहसील सिणधरी 14. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 8, 10, 12 की ओर से उपस्थित। शेष एकरतफा।
3. प्रतिवादी संख्या 14 के पैरोकार उपस्थित।

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:23:02 IST
Reason: SelfAttested

दि. [illegible].08.2024

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत जिला बालोतरा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल धनवा के ग्राम बामणी के खेत खसरा संख्या 139 / 8 क्षेत्रफल 6.7713 हैक्टेयर में था। जिसमें वादीनी का 11 / 93 हिस्सा एवं शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज हैं। वादीनी एवं प्रतिवादीगण का मौके पर हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है तथा इसी कब्जे के अनुसार वादीनी एवं प्रतिवादी के

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

बिच में बाहमी तोर से बंटवारा किया हुआ है। तथा वादीगण के उपरोक्त विवादित आराजी में प्रत्येक खसरे में मौके कब्जे अनुसार काबिज है तथा अपने कब्जे काश्त अनुसार घोषणा के जरिए बंटवारा करवाना चाहती है। अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खेत जिला बाड़मेर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल धनवा के ग्राम बामणी के खेत खसरा संख्या 139/8 क्षेत्रफल 6.7713 हैक्टेयर में वादीनी का 11/93 हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है। जिस हेतु यह वाद पेश किया।

2. वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी सं. 1 व 8, 10, 12 की ओर से वकील उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जवाब मय प्रतिदावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण एकतरफा।

3.प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों में राजस्व रेकर्ड में अंकित हिस्सानुसार ही अपनी खातेदारी जोत का विभाजन करवाने की इस्तदुआ होने के कारण तनकीयात कायम की गई। वादी अधिवक्ता की ओर से पी.डब्लू–01 लूणी कंवर, पी.डब्लू–02 कालूराम, पीडब्लू–03 जयसिंह को परीक्षित करवाया। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रति पेश की गई। प्रतिवादी वकील को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी साक्ष्य बंद की गई।

4.वादीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत जिला बालोतरा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल धनवा के ग्राम बामणी के खेत खसरा संख्या 139/8 क्षेत्रफल 6.7713 हैक्टेयर में आया हुआ है। जिसमें वादीनी का 11/93 हिस्सा एवं शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज हैं। वादीनी एवं प्रतिवादीगण का मौके पर हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है तथा इसी कब्जे के अनुसार वादीनी एवं प्रतिवादी के बिच में बहामी तोर से बंटवारा किया हुआ है। तथा वादीनी के उपरोक्त विवादित आराजी में प्रत्येक खसरे में मौके कब्जे अनुसार काबिज है तथा अपने कब्जे काश्त अनुसार घोषणा के जरिए बंटवारा करवाना चाहती है। अतः वादीनी का वाद *स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खेत* जिला बाड़मेर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल धनवा के ग्राम बामणी [illegible] संख्या 139/8 क्षेत्रफल 6.7713 हैक्टेयर में वादीनी प्रत्येक [illegible] 93 हिस्सा घोषि[illegible] वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बाई मीटस [illegible] बंटवाड़ा का हकदार है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 8, 10, 12 ने अपने जवाब मय प्रतिदावा में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक एवं पुश्तैनी होने तथा वादीनी अजनबी केता खातेदार है तथा प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में जबरदस्ती अतिक्रमण के काबिज होकर अच्छी भूमि पर पाने का प्रयास कर रही है। जिसके संबंध में वादीनी ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:23:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

वादीनी एवं प्रतिवादीगण का मौके पर बाहमी बंटवाड़े अनुसार कब्जा काश्त है, जो पूर्व खातेदार सीताकंवर पत्नी मंगलसिंह व कालूसिंह वल्द मंगलसिंह से खरीदा हुआ है उक्त कब्जा काश्त सड़क मार्ग से सणवा बेरा कटाण मार्ग से लगता हुआ है जिसमें मेरी रहवासी ढाणी व मेरे कब्जे काश्त के चारों ओर चीणे लगाकर तारबंदी की हुई है। जिसकी पुष्टि प्रतिवादी वकील की तरफ से की गई जिरह से होती है। ऐसी सूरत में वादीनी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. लिहाजा वादीनी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर खेत जिला बालोतरा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल धनवा के ग्राम बामणी के खेत खसरा संख्या 139/8 क्षेत्रफल 6.7713 हैक्टेयर की भूमि में रिकार्डेड वादीनी का 11/93 हिस्सा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (By mets and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार सिणधरी को 500/ शुल्क पर कमीश्नर मुकर्रर किया जाता है.कमीश्नर शुल्क वादीनी मौके पर अदा करेगी। शेष खातेदारान का हिस्सा बदूस्तर रहेगा। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में जरिये पत्र या नोटिस के सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल नियम 18 से 21) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।। तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हों।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:23:02 IST
Reason: SelfAttested